न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
99 / 2025 प्रा.पत्र / 2025
जीसीएमएस नं0 250 / 2025

तारीख दायरा
23.12.2025

तारीख निर्णय
23.01.2026

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।
............प्रार्थी

बनाम

1–श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स बंसल ट्रेडर्स चुंगी नाका के पास गौरव पथ रोड देवली जिला टोंक राज0। निवासी जहाजपुर चुंगी नाका के पास गौरव पथ रोड देवली जिला टोंक राज0 पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9875247294

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री संजय जैन स्वयं उप0।

दिनांक 23/1/26

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09.2025 को समय 02:49 पी.एम. पर मैसर्स बंसल ट्रेडर्स चुंगी नाका के पास गौरव पथ रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स बंसल ट्रेडर्स चुंगी नाका के पास गौरव पथ रोड देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल मूंगफली व सरसों अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य के साथ **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** दुकान की रैंक में 910–910 ग्राम की 11 प्लास्टिक बोतल मूल पैक रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर [सील] मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखी 11 मूल पैक मे से 910–910 ग्राम की 4 प्लास्टिक बोतल मूल पैक प्रत्येक 910–910 ग्राम **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** जिसके बैंच नं0 07 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2025 थी,में से 910–910 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** 910–910 ग्राम की चार प्लास्टिक बोतल मूल ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर प्लास्टिक के चार साफ व सूखे डिब्बों में रखकर,चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4442 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4442 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता संजय जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन मैसर्स बंसल ट्रेडर्स चुंगी नाका के पास गौरव पथ रोड देवली जिला टोंक बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2025 / 4400 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0 / 3924 / एक्ट / 2025 / 3890 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री संजय जैन उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानको को पूरा नहीं करता है। [illegible] का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल वीर हनुमान ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Veer Hanuman Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज